MR. DEPUTY CHAIRMAN : Hon. Members, the Discussion on Motion of Thanks on Mahamahim Rashtrapatiji's Address has concluded and the reply will be on Monday, the 8th February, 2021. माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा संपन्न हो गई है, सोमवार को इस पर जवाब होगा। Now, Special Mention. Shri Rajmani Patel. माननीय राजमणि जी, 2.30 बज गए हैं, सदन का समय पूरा हो गया है, आप अपना Special Mention lay कर दीजिए।

SPECIAL MENTION

Need for giving adequate compensation to farmers whose land is being acquired for Bansagar Irrigation Project

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, जल संसाधन विभाग के लिए किए जा रहे भू-अर्जन के मामले प्रतिकर निर्धारण एवं अवार्ड पारित करने के लिए लम्बे समय से लंबित हैं। भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 24(1)(क) के प्रावधान के अनुसार निर्धारण नहीं किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 बनाया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करने पर मुआवज़े का फार्मूला, भूमि का बाज़ार मूल्य एवं सोलेसियम चार गुना देने का प्रावधान किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी शहरी क्षेत्र के फार्मूले पर ज़मीन के बाज़ार मूल्य एवं सोलेसियम को लागू करके ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिर्फ दो गुना मुआवज़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र शासन के द्वारा पारित कानून पर अमल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार के इस रवैये के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए विवश हो रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कथित प्रकरण की गंभीरता से जांच करा कर केन्द्र सरकार के अधिनियम, 2013 के तहत किसानों के भू-अर्जन के मुआवज़े का भुगतान शहरी क्षेत्र के फार्मूले के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर चार गुना किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 9.00 a.m. on Monday, the 8th February, 2021.

The House then adjourned at thirty minutes past two of the clock till nine of the clock on Monday, the 8th February, 2021.